जनपद - संतकबीरनगर प्रेस विज्ञप्ति दिनॉक 12.02.2024

आज दिनांक 12.02.2024 को अपर पुलिस महानिदेशक गोरखपुर जोन, गोरखपुर ***डॉ0 के0 एस0 प्रताप कुमार*** पुलिस महानिरीक्षक बस्ती परिक्षेत्र, बस्ती ***श्री आर0के0 भारद्वाज*** के निर्देशन, पुलिस अधीक्षक जनपद संतकबीरनगर ***श्री सत्यजीत गुप्ता*** के मार्गदर्शन में जनपद में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में संतकबीरनगर पुलिस द्वारा किये गये सराहनीय कार्य–

थाना धर्मसिहंवा पुलिस द्वारा कार्यवाही करते हुए युवती को बहला फुसलाकर भगा ले जाने के मामले मे वाँछित अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार, अपहृता को किया गया बरामद

जनपद में ***मिशन शक्ति अभियान*** के अन्तर्गत महिलाओं पर अपराधों के रोकथाम हेतु पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर ***श्री सत्यजीत गुप्ता*** द्वारा चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत क्षेत्राधिकारी मेंहदावल ***श्री राघवेन्द्र सिंह राठौर*** के निकट पर्यवेक्षण में थानाध्यक्ष धर्मसिंहवा ***श्री इन्द्रभूषण सिंह*** के नेतृत्व में गठित टीम द्वारा मु0अ0सं0 11/2024 धारा 363/366 भा0द0वि0 के मामले मे वांछित अभियुक्त नाम पता मोनू पुत्र कोमल साकिन सेवाइचपार थाना धर्मसिंहवा जनपद संतकबीरनगर को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

विदित हो कि उक्त अभियुक्त द्वारा वादी की पुत्री को बहला फुसलाकर भगा ले गया, जिसके संबंध मे वादी द्वारा थाना स्थानीय पर अभियोग पंजीकृत कराया गया था। थाना धर्मसिंहवा पुलिस द्वारा महिला अपराध की संवेदनशीलता को देखते हुए त्वरित कार्यवाही कर अपहृता को बरामद करते हुए उक्त आरोपी अभियुक्त को आज दिनांक 12.02.2024 को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

गिरफ्तार करने वाले पुलिस बल का विवरण- उ0नि0 शिवकुमार यादव, का0 दीपनरायण शर्मा, का0 दिलशाद अंसारी, महिला आरक्षी अनीता कुशवाहा।

जनपद - संतकबीरनगर प्रेस विज्ञप्ति दिनाँक 12.02.2024

संतकबीरनगर पुलिस द्वारा आपरेशन त्रिनेत्र अभियान के तहत जनसहयोग से 01 स्थान पर लगवाये गये 04 सीसीटीवी कैमरे

श्रीमान अपर पुलिस महानिदेशक गोरखपुर जोन गोरखपुर द्वारा चलाये जा रहे ***आपरेशन त्रिनेत्र हर घर कैमरा अभियान*** के तहत पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर ***श्री सत्यजीत गुप्ता*** के निर्देशन में आज दिनांक 12.02.2024 को संतकबीरनगर पुलिस द्वारा जनसहयोग से 01 स्थान पर 04 सीसीटीवी कैमरें लगवाये गये। ***थाना मेंहदावल*** पुलिस द्वारा 01 स्थान पर 04 कैमरें लगवाकर सराहनीय कार्य करने वाले व्यक्तियों को माल्यार्पण कर सम्मानित किया गया। संतकबीरनगर पुलिस द्वारा आपरेशन त्रिनेत्र अभियान के तहत जनसामान्य से अपील किया जा रहा है कि वे अपने अपने घरों, कालोनियों व व्यवसायिक प्रतिष्ठानों पर सीसीटीवी कैमरें जरुर लगवाएं और कम से कम एक कैमरे से सड़क पर भी निगरानी रखें, जिससे कि अपराधिक व असामाजिक तत्वों पर निगरानी रखी जा सके, आपका यह छोटा सा प्रयास कानून व्यवस्था बेहतर करने में बहुत कारगर होगा।

जनपद – संतकबीरनगर ***प्रेस विज्ञप्ति*** ***दिनाँक 12.02.2024***

आज दिनांक 12.02.2024 को अपर पुलिस महानिदेशक गोरखपुर जोन, गोरखपुर ***डा0 के0 एस0 प्रताप कुमार*** पुलिस महानिरीक्षक बस्ती परिक्षेत्र, बस्ती ***श्री आर0के0 भारद्वाज*** के निर्देशन, पुलिस अधीक्षक जनपद संतकबीरनगर ***श्री सत्यजीत गुप्ता*** के मार्गदर्शन में जनपद में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में संतकबीरनगर पुलिस द्वारा किये गये सराहनीय कार्य–

दबिश के दौरान 03 वारण्टी अभियुक्त गिरफ्तार

पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर **श्री सत्यजीत गुप्ता** के निर्देशन में जनपद में वांछितों व न्यायालय में हाजिर न होने वाले अभियुक्तों के खिलाफ जारी गैर जमानतीय वारण्ट के तहत फरार चल रहे अभियुक्तों की गिरफ्तारी के क्रम **में थाना महुली पुलिस द्वारा** वारण्टी नाम पता 1- साधू पुत्र प्रभुदयाल 2- राजमन पुत्र प्रभुदयाल निवासीगण मझगांवा 3- अवधेश पुत्र जीतनारायन निवासी भीटी हरदो थाना महुली जनपद सन्तकबीरनगर को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

गिरफ्तार करने वाले पुलिस बल का विवरणः- उ0नि0 श्री राकेश गुप्ता, उ0नि0 श्री पवन कुमार, हे0का0 सर्वजीत यादव, का0 निर्भय शाह।

शान्ति भंग (151/107/116 सीआरपीसी) मे 04 अभियुक्त गिरफ्तार

- ***थाना मेंहदावल पुलिस द्वारा*** 151 / 107 / 116 सीआरपीसी मे 04 अभियुक्त गिरफ्तार किया गया।

मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत 56 वाहनों से 61500 रु0 सम्मन शुल्क वसूल किया गया

आज दिनांक 12.02.2024 को जनपद संतकबीरनगर के सभी थाना क्षेत्रो मे बैंक / वाहन / संदिग्ध व्यक्तियो की चेकिंग के दौरान समस्त प्रभारी निरीक्षक / थानाध्यक्ष / प्रभारी यातायात द्वारा मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत कड़ी कार्यवाही करते हुए 56 वाहनों से 61500 रु0 सम्मन शुल्क वसूल किया गया।

जनपद – संतकबीरनगर ***प्रेस विज्ञप्ति*** ***दिनाँक 12.02.2024***

आज दिनांक 12.02.2024 को अपर पुलिस महानिदेशक गोरखपुर जोन, गोरखपुर ***डा0 के0 एस0 प्रताप कुमार*** पुलिस महानिरीक्षक बस्ती परिक्षेत्र, बस्ती ***श्री आर0के0 भारद्वाज*** के निर्देशन, पुलिस अधीक्षक जनपद संतकबीरनगर ***श्री सत्यजीत गुप्ता*** के मार्गदर्शन में जनपद में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में संतकबीरनगर पुलिस द्वारा किये गये सराहनीय कार्य–

शान्ति भंग (151/107/116 सीआरपीसी) मे 04 अभियुक्त गिरफ्तार

थाना कोतवाली खलीलाबाद पुलिस द्वारा 151 / 107 / 116 सी0आर0पी0सी0 मे 04 अभियुक्तगण 1.अर्जुन पुत्र विशम्भर सा0 धर्मपूरा 2. चन्दर पुत्र विशम्भर सा0 धर्मपूरा 3. जितेन्द्र पुत्र विशम्भर सा0 धर्मपुरा 4. देवनरायन उपाध्याय पुत्र स्व0 श्री इन्द्रनाथ उपाध्याय सा0 जगदीशपुर उर्फ लहुरादेवा थाना कोतवाली खलीलाबाद जनपद संतकबीरनगर को गिरफ्तार किया गया।

विदित हो कि ग्राम धर्मपूरा मे दो पक्षों के मध्य आपस मे गाली गलौज व मारपीट की जा रही थी तत्काल थाना कोतवाली खलीलाबाद पुलिस द्वारा मौके पर पहुँचकर दोनो पक्षों के उपरोक्त व्यक्तियों को काफी समझाने का प्रयास किया गया। दोनों पक्ष आपस में आमदा फौजदारी होकर उग्र होने लगे तत्पश्चात शान्ति व्यवस्था कायम रखने हेतु थाना कोतवाली खलीलाबाद पुलिस द्वारा धारा 151 सीआरपीसी में हिरासत पुलिस में लिया गया। थाना कोतवाली खलीलाबाद पुलिस द्वारा घटनास्थल से उपरोक्त व्यक्तियों को गिरफ्तार नहीं किया जाता तो संज्ञेय अपराध कारित कर सकते थे।

***गिरफ्तार करने वाले पुलिस बल का विवरण-* उ0नि0 राकेश कुमार, हे0का0 मुरली मनोहर।**

जनपद - संतकबीरनगर प्रेस विज्ञप्ति दिनॉक 12.02.2024

आज दिनांक 12.02.2024 को अपर पुलिस महानिदेशक गोरखपुर जोन, गोरखपुर ***डॉ0 के0 एस0 प्रताप कुमार*** पुलिस महानिरीक्षक बस्ती परिक्षेत्र, बस्ती ***श्री आर0के0 भारद्वाज*** के निर्देशन, पुलिस अधीक्षक जनपद संतकबीरनगर ***श्री सत्यजीत गुप्ता*** के मार्गदर्शन में जनपद में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में संतकबीरनगर पुलिस द्वारा किये गये सराहनीय कार्य–

थाना कोतवाली खलीलाबाद पुलिस द्वारा कार्यवाही करते हुए नाबालिग को बहला फुसलाकर भगा ले जाने के मामले मे वाँछित अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार

जनपद में ***मिशन शक्ति अभियान*** के अन्तर्गत महिलाओं पर अपराधों के रोकथाम हेतु पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर ***श्री सत्यजीत गुप्ता*** द्वारा चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत क्षेत्राधिकारी खलीलाबाद ***श्री ब्रजेश सिंह*** के निकट पर्यवेक्षण में प्रभारी निरीक्षक थाना कोतवाली खलीलाबाद ***श्री ब्रजेन्द्र प्रसाद पटेल*** के नेतृत्व में गठित टीम द्वारा मु0अ0स0 1224/2023 धारा 363/366 भादवि व 16/17 पाक्सो एक्ट तथा 3(2)(v), 3(2)(v)(क) एससी/एसटी एक्ट के मामले मे वांछित अभियुक्त नाम पता संदीप गुप्ता पुत्र ओमप्रकाश गुप्ता निवासी बंगलाताल डीघा थाना कोतवाली खलीलाबाद जनपद सन्त कबीर नगर को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

विदित हो कि उक्त अभियुक्त द्वारा वादी की नाबालिग पुत्री को बहला फुसलाकर भगा ले गया, जिसके संबंध मे वादी द्वारा थाना स्थानीय पर अभियोग पंजीकृत कराया गया था। थाना कोतवाली खलीलाबाद पुलिस द्वारा महिला अपराध की संवेदनशीलता को देखते हुए त्वरित कार्यवाही कर अपहृता को दिनांक 22.12.2023 को बरामद करते हुए उक्त आरोपी अभियुक्त को आज दिनांक 12.02.2024 को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

गिरफ्तार करने वाले पुलिस बल का विवरण- उ0नि0 श्री अरविन्द कुमार यादव, हे0का0 छोटेलाल ,का0 संजीत कुशवाहा।

जनपद-संतकबीरनगर प्रेस विज्ञप्ति दिनांक 12.02.2024

"ऑपरेशन कनविक्शन" व "ऑपरेशन शिकंजा" अभियान के तहत संतकबीरनगर पुलिस की सशक्त व प्रभावी पैरवी के फलस्वरुप लापरवाही पूर्वक गाड़ी चलाकर दुर्घटना कारित करने के मामलें में 01 अभियुक्त को न्यायालय उठने तक की अभिरक्षा व 2600 रु0 के अर्थदण्ड से किया गया दण्डित

श्रीमान पुलिस महानिदेशक महोदय उत्तर प्रदेश द्वारा चलाये जा रहे *"**ऑपरेशन कनविक्शन**"* व ***श्रीमान अपर पुलिस महानिदेशक गोरखपुर जोन गोरखपुर*** द्वारा चलाये जा रहे *"**ऑपरेशन शिकंजा**"* अभियान के तहत पुलिस अधीक्षक जनपद संतकबीरनगर ***श्री सत्यजीत गुप्ता*** के निर्देशन में अपराधों पर कठोरता से नियंत्रण लगाने एवं अभियुक्तों को अधिकाधिक दंडित कराने हेतु सर्वोच्च प्राथमिकता के आधार पर अभियोगों को चिन्हित कराते हुए मानीटरिंग सेल को आवश्यक दिशा निर्देश दिये गये हैं।

उक्त निर्देश के क्रम में ***संयुक्त निदेशक अभियोजन व मानीटरिंग सेल*** के संयुक्त प्रयास के फलस्वरुप आज दिनांक 12.01.2024 को ***मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, जनपद सन्तकबीरनगर*** द्वारा *थाना कोतवाली खलीलाबाद* पर पंजीकृत मु0अ0सं0 957/2003 धारा 279/337/338 भा0द0वि0 व 186 एमवी एक्ट के मामलें में अभियुक्त नाम पता गौरीशंकर पुत्र तेज सोनार निवासी पश्चिम टोला थाना मेंहदावल जनपद संतकबीरनगर को जुर्म स्वीकारोक्ति के आधार पर धारा 279 भा0द0वि0 के तहत कारागार में बिताई गयी अवधि व न्यायालय उठने तक की सजा तथा 1000 रुपये के अर्थदण्ड, धारा 338 भा0द0वि0 के तहत कारागार में बिताई गयी अवधि व न्यायालय उठने तक की सजा तथा 1000 रुपये के अर्थदण्ड, धारा 337 भा0द0वि0 के तहत कारागार में बिताई गयी अवधि व न्यायालय उठने तक की सजा तथा 500 रुपये के अर्थदण्ड, धारा 186 एमवी एक्ट में 100 रु0 के अर्थदण्ड का दण्डादेश पारित किया गया है। अर्थदण्ड अदा ना करने पर अभियुक्त को 15 दिवस की अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी।